

प्ररूप 21ख

[नियम 11 (1) देखिए]

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान निर्विरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा ।

बिहार विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन ।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम-11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) से अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री सतीश चंद्र दुबे

ग्राम- हरसरी,
पोस्ट- नरकटियागंज
थाना- शिकारपुर, प० चंपारण

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किये गए हैं

उस सदन में श्री जेठमलानी राम बूलचन्द की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं ।

स्थान : बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना

तारीख : 09 अक्टूबर, 2019

M 09/10/2019
(बटेश्वर नाथ पाण्डेय)

रिटर्निंग आफिसर

निर्वाची पदाधिकारी

राज्य सभा का उप निर्वाचन

FORM 21B

[See rule 11(1)]

(For use in Election to fill a casual Vacancy when seat is uncontested)

Declaration of the result of Election under Sub-section (2) of section-53 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly Bihar (States).

In pursuance of the provisions contained in Sub-section (2) of section-53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules 1961, I declare that :-

Sri Satish Chandra Dubey Vill- Harsari
Post- Narkatiyaganj,
P.S.- Sikarpur,
West Champaran

Sponsored by Bharatiya Janata Party

has been duly elected to fill the vacancy caused in that house by the death of Shri Jethmalani Ram Boolchand.

Place : **Bihar Vidhan Sabha Sachivalaya**
Date : 09th **October, 2019**


(Bataeshwar Nath Pandey)
Returning Officer
Returning Officer
for Bye Election
to the Council of States